पत्रांक–05 / बी01–08 / 2016
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
(संलग्न विवरणी अनुसार)

पटना, दिनांक .... /

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2016–17** में गैरयोजना अन्तर्गत **प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,** के यात्रा व्यय मद में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0007–प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विपत्र कोड–एन 2202800030007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में अंकित राशि **रू0 24,000 / –(चौबीस हजार रू०)** मात्र आपको संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, **423** दिनांक–**31.03.2016** एवं 2793 दिनांक–04.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3. प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया यात्रा व्यय नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8 बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,
ह0/–

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक:– 44 पटना, दिनांक:– 9/6/16

प्रतिलिपि:–सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी,/निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण)/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा–05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/16

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)।

8/6/16

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2016–17 मांग संख्या–21, मुख्यशीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–003–प्रशिक्षण–उपशीर्ष–0007–प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विपत्र कोड–एन 2202800030007 में आवंटन।

क्र० सं०	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम	प्रशिक्षित किये जा रहे व्याख्याता की संख्या	यात्रा व्यय	कुल योग
			1101	
1	2	3	4	5
1	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माधोपट्टी, दरभंगा	5	10000	10000
2	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाल्मिकी नगर, प० चम्पारण	3	6000	6000
3	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दरियापुर, प० चम्पारण	4	8000	8000
	कुल योग–	**12**	**24000**	**24000**

कुल (चौबीस हजार रू०) मात्र।

8/6/16

निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण)

पुरस्थापित